प्रकरण संख्या 09/14 2016/00015 तारीख रजु–01.10.2014

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

उनवान

1. इमरतलाल पुत्र परसादी
2. सीताराम पुत्र कुन्डेरी
3. सुगनलाल पुत्र लक्ष्मण
4. बीरवल पुत्र परमाल
5. किशोर पुत्र परमाल
6. रतनलाल पुत्र धर्मसुख
7. श्रीचन्द पुत्र जगन्नाथ

सभी जाति मीणा निवासी नींदर, तहसील मण्डरायल, जिला करौली (राज0)

– प्रार्थीगण

बनाम

1. सीयाराम पुत्र वंशी जाति मीणा निवासी वंशी का पुरा, तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज0)
2. सरपंच ग्राम पंचायत नींदर तहसील मण्डरायल जिला करौली

– अप्रार्थीगण

निगरानी तहत दफा 97 राजस्थान पंचायत एक्ट निगरानी व खिलाफ पट्टा नं 18 दिनांक 20.12.2004 को निरस्त करने जो बुक सं0 64 पट्टा सं0 18 आबादी भूमि के लिये तत्कालीन सरपंच मोतीलाल द्वारा जारी किया गया है।

निर्णय

दिनांक–19.06.2019

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट्स द्वारा यह निगरानी पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण ग्राम नींदर के स्थायी निवासी हैं और विवादित पट्टे में दर्शाया कुंआ व जमीन प्रार्थीगण के पिताओं ने करीब 60 साल पुराना पुख्ता कुंआ बनाया हुआ है जो वस्ती के लिये सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग के आ रहा है। पट्टे में दर्ज हदूद अर्वा के पश्चिम में विपक्षी नं0 1 ने अपनी स्वयं की जमीन होना गलत दर्ज किया है क्योंकि इस दिशा में सीताराम पुत्र कुन्डेरी मीणा की पुश्तैनी कब्जे व मिल्कियत की आबादी भूमि है जिसमें बंगला बना हुआ है और बंगला में आगे चबूतरा बना हुआ है जिस पर करीब 60 साल पुराना बड का पेड़ खडा हुआ है और बंगला सम्वत् 2026 का कुन्डेरी द्वारा निर्मित बना हुआ है। विपक्षी नं0 1 ग्राम नींदर का स्थायी निवासी नहीं है। वह तो वंशी के पुरा का निवासी है, ग्राम नींदर में कोई पुश्तैनी रिहायश नहीं है। इन सारे तथ्यों को छुपाते हुए विपक्षी नं0 1 ने पट्टा जेर निगरानी फर्जी, बिना किसी अधिकार के गैरकानूनी तरीके से तत्कालिक सरपंच मोतीलाल से मिलकर प्राप्त किया है। जो निरस्त होने योग्य है। पट्टे पर ना तो सचिव के हस्ताक्षर हैं और ना ही साक्षी के हस्ताक्षर है। इसलिये भी पट्टा जेर निगरानी निरस्त होने योग्य है। निगरानी जेर पट्टा तत्कालिन

जिला कलक्टर
करौली

सरपंच मोतीलाल ने राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1956 के नियम 150 से 152 की विधिवत पालना किये बगैर जारी कराया है जो निरस्त होने योग्य है। विपक्षी सं0 1 ने पट्टे में दर्ज भूमि व कुंआ के मिल्कियत सम्बन्ध में कोई दस्तावेज ग्राम पंचायत नींदर में पेश किये पट्टे की नाप गलत दर्ज की है बल्कि 43X29 फुट है जो फर्जी तौर पर जारी किया गया है। पट्टा जेर निगरानी पर क्रेता एवं सचिव के कोई हस्ताक्षर नहीं हैं। जारीशुदा पट्टे का विपक्षी नं0 1 ने ग्राम पंचायत नींदर से आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है जो कानूनन आवश्यक है। विपक्षी नं. 1 ने निगरानी गुजार के पिता अथवा निगरानी गुजार से अपने नाम पट्टा बनवाने की न तो सहमति ली और ना ही ग्राम पंचायत नींदर में पट्टा जारी करने हेतु निगरानी गुजार ने कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और स्वंय सीयाराम ने ही बिना किसी अधिकार के अपने हस्ताक्षर करके निगरानी गुजार सियाराम का पट्टे में गलत नाम दर्ज करा दिया है। विपक्षी नं0 1 चालाक किस्म का व्यक्ति है और आबादी की जमीन को हडपने के लिये पट्टा सं0 18–19 अपने नाम से जारी करा लिये है और पट्टा सं0 20 भी सीताराम द्वारा वगैर आवेदन किये वगैर कमी तौर पर जारी करा दिया है। इसलिये विपक्षी सं0 1 के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही किया जाना भी न्यायोचित है और सम्पूर्ण मामले की गहन रूप से सक्षम अधिकारी द्वारा जाँच कराने के आदेश अपेक्षित है और पट्टा सं0 18 व 19 से सम्बन्धित समस्त रिकॉर्ड ग्राम पंचायत नींदर से तहत किया जाना आवश्यक है जिससे विपक्षी सं0 1 की सम्पूर्ण फर्जीयत रिकॉर्ड पर लायी जा सके। पट्टा नं0 18 से सम्बन्धित कुंआ व जमीन से सम्बन्धित नजरी नक्शा व आवश्यक फोटो प्रमाण में प्रस्तुत हैं एवं पट्टा सं0 19 व 20 की भी छाया प्रति साथ में पेश है। मौके पर कभी भी कोई पंच व सरपंच पट्टा जारी होने से पूर्व नहीं आये है। उक्त पट्टे की जानकारी निगरानी गुजार को सीताराम द्वारा दिनांक 12.09.2014 को देने पर नकल दर0 प्रस्तुत की जो दिनांक 15.09.2014 को प्राप्त होने पर निगरानी की जानकारी के आधार पर अन्दर म्याद प्रस्तुत है। इससे पूर्व इस पट्टे की जानकारी कभी नहीं रही। दफा 5 कानून म्याद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः निगरानी व खिलाफ विपक्षीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि पट्टा सं0 18–19, 20 दिनांक 20.12.2004 के समस्त मूल रिकॉर्ड को सरपंच ग्राम पंचायत नींदर से तलब किया जाकर बाद बहस निगरानी प्रार्थीगण स्वीकार की जाकर पट्टा सं0 18 दिनांक 20.12.2004 को निरस्त किये जाने के आदेश दिये जावें और दिये आदेश के विपक्षी सं0 2 को रिकॉर्ड में इन्द्राज किये जाने के निर्देश दिये जावें। अंत में निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर सायलान की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

निगरानी गुजार नं. 1 ने जरिये एडवोकेट एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी निगरानीदार द्वारा श्रीमान्जी के यहां निगरानी पेश की गई है जिसमें प्रार्थी कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। इसलिए प्रार्थी की निगरानी नोटप्रेस में खारिज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर
करौली

गैरसायलान द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और सीधे ही बहस करना चाहा।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील सायलान/निगरानी गुजारान ने प्रार्थना पत्र निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि

विवादित पट्टे में दर्शाया कुंआ प्रार्थीगण के पिताओं ने करीब 60 साल पुराना पुख्ता बनाया हुआ है जो बस्ती के लिये सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग के आ रहा है। पट्टे में दर्ज हदूद अर्वा के पश्चिम में विपक्षी नं0 1 ने अपनी स्वयं की जमीन होना गलत दर्ज किया है क्योंकि इस दिशा में सीताराम पुत्र कुन्डेरी मीणा की पुश्तैनी कब्जे व मिल्कियत की आबादी भूमि है जिसमें बंगला बना हुआ है और बंगला में आगे चबूतरा बना हुआ है जिस पर करीब 60 साल पुराना बड का पेड़ खडा हुआ है और बंगला सम्वत् 2026 का कुन्डेरी द्वारा निर्मित बना हुआ है। विपक्षी नं0 1 ग्राम नींदर का स्थायी निवासी नहीं है। वह तो वंशी के पुरा का निवासी है, ग्राम नींदर में कोई पुश्तैनी रिहायश नहीं है। इन सारे तथ्यों को छुपाते हुए विपक्षी नं0 1 ने पट्टा जेर निगरानी फर्जी, बिना किसी अधिकार के गैरकानूनी तरीके से तत्कालिक सरपंच मोतीलाल से मिलकर प्राप्त किया है। पट्टे पर ना तो सचिव के हस्ताक्षर हैं और ना ही साक्षी के हस्ताक्षर है। निगरानी जेर पट्टा तत्कालिन सरपंच मोतीलाल ने राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1956 के नियम 150 से 152 की विधिवत पालना किये बगैर जारी कराया है जो निरस्त होने योग्य है। विपक्षी सं0 1 ने पट्टे में दर्ज भूमि व कुंआ के मिल्कियत सम्बन्ध में कोई दस्तावेज ग्राम पंचायत नींदर में पेश नहीं किये। पट्टा जेर निगरानी पर क्रेता एवं सचिव के कोई हस्ताक्षर नहीं हैं। जारीशुदा पट्टे का विपक्षी नं0 1 ने ग्राम पंचायत नींदर से आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है जो कानूनन आवश्यक है। विपक्षी नं. 1 ने निगरानी गुजार के पिता अथवा निगरानी गुजार से अपने नाम पट्टा बनवाने की न तो सहमति ली और ना ही ग्राम पंचायत नींदर में पट्टा जारी करने हेतु निगरानी गुजार ने कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और स्वंय सीयाराम ने ही बिना किसी अधिकार के अपने हस्ताक्षर करके निगरानी गुजार सियाराम का पट्टे में गलत नाम दर्ज करा दिया है। विपक्षी नं0 1 चालाक किस्म का व्यक्ति है और आबादी की जमीन को हडपने के लिये पट्टा सं0 18–19 अपने नाम से जारी करा लिये है और पट्टा सं0 20 भी सीताराम द्वारा वगैर आवेदन किये जारी करा लिया है। इसलिये विपक्षी सं0 1 के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही किया जाना भी न्यायोचित है और सम्पूर्ण मामले की गहन रूप से सक्षम अधिकारी द्वारा जाँच कराने के आदेश अपेक्षित है और पट्टा सं0 18 व 19 से सम्बन्धित समस्त रिकॉर्ड ग्राम पंचायत नींदर से तहत किया जाना आवश्यक है जिससे विपक्षी सं0 1 की सम्पूर्ण फर्जीयत रिकॉर्ड पर लायी जा सके। अंत में निगरानी स्वीकार फरमाये जाने का कथन किया है।

वकील गैर सायल नं. 1 का कथन है कि पट्टे को ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करके जारी किया गया है। पट्टे में दर्शाये गये कुंआ

जिला कलक्टर
करौली

व जमीन गैरसायल नं. 1 की पुश्तैनी हैं। अंत में निगरानी खारिज फरमाये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। पट्टा संख्या 18 का अवलोकन करने पर पाया कि

पट्टे पर ना तो सचिव के हस्ताक्षर हैं और ना ही साक्षी के हस्ताक्षर है और ना ही क्रेता के हस्ताक्षर हैं। पट्टे का ग्राम पंचायत द्वारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया गया है जिससे पट्टे को नियमों की पालना किये वगैर जारी किया जाना प्रतीत होता है। विपक्षी सं0 1 ने पट्टे में दर्ज भूमि व कुंआ के मिल्कियत के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है जिससे पट्टे में दर्ज भूमि व कुंआ की मिल्कियत विपक्षी नं. 1 के हक में साबित होती हो। हम निगरानीगुजारान के कथनों से सहमत हैं एवं पट्टा संख्या 18 को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः दिनांक 20.12.2004 को जारी ग्राम पंचायत नींदर हाल पंचायत समिति मण्डरायल जिला करौली द्वारा सियाराम पुत्र बंशी मीना व सीताराम पुत्र कुण्डेरी मीना के हक में जारी किये गये पट्टे संख्या 18 बुक संख्या 64 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली